

15.07.2025

बादमेर

वकील अपीलोट द्वारा पडावली तलब कर विज्ञापन जारी
 किया जाने का बत प्रार्थना-पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना
 पत्र को आपाटेंट के स्वीकार किया जाने के पडावली के
 द्वारा वकील अपीलोट ने विवेक किया कि उत्तरदाता
 केन्द्रों का कुछ समय पहले देखा है मुका है एवं
 शेष उत्तरदाताओं व अपीलोट के मुख्य तमाज के
 मौजूद व्यक्तियों द्वारा समझाई कर लेने राखीनामा
 करवा दिया है इसलिए अपीलोट हस्तात प्रकरण को
 भागे नहीं चलना चाहता है अतः प्रार्थना के स्वीकार
 फरमाया जाकर पडावली को जारी विज्ञापन जारी
 फरमाया जावे।

वकील अपीलोट द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र एवं बत को
 आपाटेंट के स्वीकार किया जाता है अपीलोट लोकअदालत
 की भावना के राखीनामा कर हस्तात अपील को भागे नहीं
 चलाना चाहता है अतः पडावली जारी विज्ञापन (राखीनामा)
 जारी की जाती है उक्तप्रकार पडावली विहित कर,
 जे नम्बर के क्रम है। बाइ आवश्यक कार्यवाही हेतु दायित्व
 दफ्तर है।

(निवनीत कुमार)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बादमेर